

24-7-2015
Areef (FC)


Acc
24/07/2015

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1455]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2015/ आषाढ़ 18, 1937

No. 1455]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2015/ASHADHA 18, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

का.आ. 1847(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), अंदमान और निकोबार का गठन करती है, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|--|-------------|
| (क) | श्री सुजीत श्याम चौधरी,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सेवानिवृत्त)
फ्लैट जी09.2, एनबीसीसी, बिबग्यार टावर,
न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता। | —अध्यक्ष |
| (ख) | डॉ. पी. एम. मोहन,
विभागाध्याक्ष,
महासागर और सामुद्रिक जीव विज्ञान,
पुडुचेरी विश्वविद्यालय (ई एंड एम सेंटर)
पोर्ट ब्लेयर। | —सदस्य |
| (ग) | निदेशक,
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी,
अंदमान और निकोबार प्रशासन,
पोर्ट ब्लेयर। | —सदस्य-सचिव |

2. अंदमान और निकोबार प्राधिकरण के अध्यक्ष और गैर-पदधारी सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे।

3031 GI/2015

(1)

3. अंदमान और निकोबार प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।
4. प्राधिकरण अपने विनिश्चय को पैरा 5 के अधीन अंदमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर आधारित करेगा।
5. केंद्रीय सरकार, अंदमान और निकोबार प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजनों हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, अंदमान और निकोबार (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी अंदमान और निकोबार कहा गया है) का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- | | | |
|-------|---|----------|
| (i) | डा. परमजीत सिंह,
निदेशक,
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण,
सीजीओ परिसर साल्ट लेक सिटी, डीएफ क्लक,
पांचवां और छठवां तल,
कोलकाता-700064, पश्चिमी बंगाल। | —अध्यक्ष |
| (ii) | डा. आर.मोहन राजू,
समुद्री जीव विज्ञान विभाग,
पुडुचेरी विश्वविद्यालय (ईएंडएम सेंटर)
पोर्ट ब्लेयर। | —सदस्य |
| (iii) | श्रीमती रीता बिश्वास,
प्राध्यापक,
सिविल इंजीनियरी विभाग,
डा.बी.आर.अंबेडकर राजकीय पालिटेक्निक,
पोर्ट ब्लेयर। | —सदस्य |
| (iv) | डा. चंद्रशेखरन शिवपेरुमन,
वैज्ञानिक-सी
अंदमान और निकोबार क्षेत्रीय केन्द्र,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, हैड्रो, पोर्ट ब्लेयर। | —सदस्य |
| (v) | श्री कांडी मुथु
सहायक आचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग,
जेएनआरएम, पोर्ट ब्लेयर। | —सदस्य |
| (vi) | सदस्य सचिव,
अंदमान और निकोबार, प्रदूषण नियंत्रण समिति,
पोर्ट ब्लेयर। | —सदस्य |

6. एसईएसी अंदमान और निकोबार के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
7. एसईएसी अंदमान और निकोबार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों।
8. एसईएसी अंदमान और निकोबार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि मतैक्य पर नहीं पहुंचा जा सकता हो तो बहुसंख्या का विचार अभिभावी होगा।

9. अंदमान और निकोबार प्रशासन, अंदमान और निकोबार प्राधिकरण और एसईएसी, अंदमान के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी सांविधिक कृत्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संभार-तंत्र, का समर्थन का उपबंध करेगा जिसके अंतर्गत वास-सुविधा और अन्य सुविधाएं भी हैं।

10. अंदमान और निकोबार प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एसईएसी अंदमान और निकोबार के अध्यक्ष और सदस्यों को अंदमान और निकोबार में संबद्ध नियमों के अनुसरण में बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/157/2012-आई.ए. II (I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2015

S.O. 1847(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Andaman and Nicobar (hereinafter referred to as the Authority for Andaman and Nicobar) comprising of the following Members, namely:—

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| (a) | Shri Sujit Syam Choudhury,
Principal Chief Conservator of Forests (Retired),
Flat G09.2, NBCC, Vibgyor Towers, New Town, Rajarhat, Kolkata. | —Chairman |
| (b) | Dr. P. M. Mohan,
Head of Department,
Department of Ocean and Marine Biology, Puducherry University (E and
M Centre) Port Blair. | —Member |
| (c) | Director, Science and Technology,
Andaman and Nicobar Administration, Port Blair | Member-
Secretary |

2. The Chairman and non-official Member of the Authority for Andaman and Nicobar shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority for Andaman and Nicobar shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for Andaman and Nicobar shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the Union Territory of Andaman and Nicobar.

5. For the purposes of assisting the Authority for Andaman and Nicobar, the Central Government, in consultation with the Andaman and Nicobar Administration, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Andaman and Nicobar (hereinafter referred to as SEAC for Andaman and Nicobar) comprising of the following Members, namely:—